:: कार्यालय जिला पंचायत जिला झाबुआ ::

विज्ञापन कमांक .... /2009/ आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18.12.09

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –1 के लिये नियोजन हेतु विज्ञापन

1. व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 29.6.08 को आयोजित "संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008" में अर्ह पाये गये अभ्यार्थियों से जिला पंचायत जिला झाबुआ के अंतर्गत विधालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–एक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

कं.	विषय	अजजा.			
		महिला	विकलांग	अन्य	योग
1	अंग्रेजी	2	1	02	05
2	भौतिक शास्त्र	02	00	02	04
3	रसायन	00	00	01	01
4	गणित	03	01	04	08
	योग	**05**	**01**	**09**	**18**

उपरोक्तनुसार दर्शाये गये पदों में बैकलॉग के पद भी सम्मिलित है।

उपरोक्त पद कम ज्यादा हो सकते है ।

2. म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) 2005 के नियम 6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

अ महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत

ब भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत

स निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों मे से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगो आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

झाबुआ जिले में विकलांग के पदों में एक पद महिला एव एक पद अन्य विकलांग हेतु आरक्षित रहेगा । दृष्टिबाधित एवं अस्थिबाधित के लिये एक–एक पद आरक्षित रहेगा।

(1) **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :–**

1. संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष
2. न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

(2) **अर्हताए :–**

1. वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु जिला पंचायत को आवेदन दे सकेगे जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम–6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो ।
2. अनुसूचित जातियों , जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो या किन्ही अन्य वर्गो के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट , सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत्त हो ।
3. महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु–सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी ।
4. सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रो के अनदेशकों /पर्यवेक्षको सरकारी स्कूलों के लिये नियुक्त मानसेवी शिक्षकों को उच्चतम आयु–सीमा में 12 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन लिए नए सिरे से आवेदन करेगे वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होगे जितनी कालावधि के लिए उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो । इस आधार पर यह छूट अधिकतम 9 वर्ष के लिए होगी बशर्ते उनकी संविदा संतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त नही कर दी गई ।

6. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को , जो या तो कार्यरत हो अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो , उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतम आयु–सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

7. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना रिक्त पदो के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जावेगी ।

8. संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिये नियम की अनुसूची–2 के कॉलम (7) की अन्युक्तियों में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदो के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(3) **निरर्हताएं** :– म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) 2005 की अनुसूची – दो का नोट (ख) में प्रावधानित नियमों के अनुसार रहेगी ।

(4) **संविदा पारिश्रमिक** :– म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) 2005 की अनुसूची–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के लिए संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) रूपये 4500/– देय है ।

(5) **अंतिम चयन सूची से नियोजन एवं संविदा** :– म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के नियम –6 के बिन्दु क्रमांक 1 से 6 तक के अनुसार होगी ।

(6) **चयन का मापदण्ड** :– म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के नियम–9 के उप नियम (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार ।

(7) **संविदा नियोजन की कालावधि एवं सविदा कालावधि में वृद्धि** :– संविदा शाला शिक्षक के पद पके लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिये अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जाएगा । उससे इस नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य , आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएगा । परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढाई जा सकगी । संविदा कालावधि में वृद्धि नियम 2005 के नियम–9 के अधीन होगी ।

(8) **पिछडी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** :– म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के नियम–7 के अनुसार होगी ।

(9) **आवेदन प्राप्त होने की तिथि** :– झाबुआ जिले के आवेदन पत्र आवेदन पत्र दिनांक ....18.12.09 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला झाबुआ के कार्यालय में **(शासकीय अवकाशों को छोडकर कार्यालयीन दिवसों में) प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य** प्राप्त किए जाएंगे । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

(10) **अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन** :– झाबुआ जिले की अनंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक ..31.12.09 को किया जायेगा।

(11) **आपत्तियों का प्राप्त करना**:—यदि किसी अभ्यर्थी को अनंतिम चयन सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। आपत्ति का निराकरण नियम 11 के अनुसार किया जायेगा।

(12) **अंतिम चयन सूची का प्रकाशन** :— अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 11-01-10 को जिला पंचायत झाबुआ के सूचना फलक पर किया जायेगा ।

(13) **एकीकृत काउंसिलिंग**:— जिला मुख्यालय पर एकीकृत काउंसिलिंग जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोक्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 25/1/2010 को की जायेगी एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संपन्न होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत झाबुआ